भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2537
दिनांक 05 अगस्त, 2025 / 14 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

लक्षद्वीप में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियाँ

†2537. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के कई मामले 2018 से लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे लंबित मामलों की संख्या कितनी है और इन नियुक्तियों पर कार्रवाई करने और अनुमोदन में अत्यधिक देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस देरी से उन दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को, जो अनुकंपा के आधार पर रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अनावश्यक परेशानी हुई है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने और समय पर नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लंबित मामलों के कब तक निपटाए जाने की उम्मीद है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके द्वारा, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों पर विचार किया जाता है।

*****